

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 314]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 11 जून 2026 — ज्येष्ठ 21, शक 1948

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10 जून 2026

अधिसूचना

क्रमांक GENCOR/8034/2025.— छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5(1)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा निम्न अनुसूची में वर्णित क्षेत्र को नगर पालिका कोटा, जिला-बिलासपुर गठित करता है:-

अनुसूची -1

प्रस्तावित नगर पालिका कोटा की सीमा में सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:-

स. क्र.	नगर पालिका कोटा में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र का विवरण	जनसंख्या (वर्ष 2011)
1	नगर पंचायत कोटा	18405

अनुसूची -2

कोटा नगर पालिका की सीमाएं निम्नानुसार होंगी:-

नगर पंचायत कोटा की सीमाएं ही नगर पालिका कोटा की सीमा होंगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भागवत जायसवाल, उप-सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10 जून 2026

क्रमांक GENCOR/8034/2025.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10-6-2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भागवत जायसवाल, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 10th June 2026

NOTIFICATION

No. GENCOR/8034/2025.—In exercise of the powers conferred by section 5(1)(A) of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government hereby constitutes the Municipal Council, Kota, Dist-Bilaspur as per schedule given below :-

SCHEDULE-1

The particulars of areas of Municipal Council Kota is as under:-

S.No.	Proposed areas to be included in Municipal Council Kota	population (Year 2011)
1	Nagar Panchayat Kota	18405

SCHEDULE-2

The Revised boundary of Municipal Council Kota is as under:-

The boundaries of Nagar Panchayat Kota shall be the boundaries of Municipal Council Kota.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
BHAGWAT JAISWAL, Deputy Secretary.